उत्तराखण्ड शासन,
गृह अनुभाग–5
संख्या–1627 / XX–5–2025–03(40)2025
देहरादूनः दिनांक 9, नवम्बर, 2025

अधिसूचना

राज्यपाल समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड, 2024 की धारा 48, 389 एवं 391 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके समान नागरिक संहिता नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 में अग्रेत्तर संशोधन करने के दृष्टिगत् निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :–

समान नागरिक संहिता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम समान नागरिक संहिता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 3 का संशोधन	2.	समान नागरिक संहिता नियमावली, उत्तराखण्ड, 2025 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 3 में उपनियम (1) के खण्ड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्– (तत) ''पहचान का प्रमाण'' से "आधार कार्ड / पासपोर्ट / वोटर आई0डी0 / राशन कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा जारी वैध अन्य पहचान पत्र" अभिप्रेत है।''
नियम 5 का संशोधन	3.	मूल नियमावली के नियम 5 के उपनियम (4) में – **(क)** खण्ड (क) में उपखण्ड (ii) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्– "(ii) सहवासी संबंध के अग्रेषित कथन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर महानिबंधक अपने द्वारा नामित अधिकारी से संक्षिप्त जांच करवाएंगे। संक्षिप्त जांच उसी रीति से की जाएगी जो रीति संहिता एवं नियमावली के अन्तर्गत विहित है।'' **(ख)** खण्ड (ख) में – (i) उपखण्ड (i) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् – ''(i) महानिबंधक उन आधारों पर सावधानीपूर्वक विचार करेंगे जिनके आधार पर सहवासी संबंध के पंजीकरण हेतु कथन को अस्वीकार किया गया था एवं जांच करेंगे कि अस्वीकृति का आधार संहिता एवं नियमावली के अन्तर्गत विहित हो।''। (ii) उपखण्ड (vi) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्– ''(vi) उपरोक्त उपखण्ड (i) से (iv) में उल्लिखित चरणों का पालन करने के पश्चात् यदि महानिबंधक इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि निबंधक द्वारा पारित अस्वीकृति आदेश त्रुटिपूर्ण है, तो वह युक्तियुक्त आदेश पारित करके अपील को अधिनिर्णीत करेंगे, जिसका प्रारूप

		अनुलग्नक–35 में दिया गया है। ऐसे मामले में महानिबंधक अनुलग्नक–31 के अनुसार सहवासी संबंध के पंजीकरण का प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे''।
नियम 6 का संशोधन	4.	मूल नियमावली के नियम 6 में– **(क)** उपनियम (1) में खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्– ''(i) निबंधक उन आधारों पर सावधानीपूर्वक विचार करेंगे जिनके आधार पर विवाह पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति के ज्ञापन को अस्वीकार किया गया था एवं जांच करेंगे कि अस्वीकृति का आधार संहिता एवं नियमावली के अन्तर्गत विहित हो;'' **(ख)** उपनियम (3) में खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्– ''(i) निबंधक उन आधारों पर सावधानीपूर्वक विचार करेगें, जिनके आधार पर उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु आवेदन को अस्वीकार किया गया था तथा यह जांच करेगा कि अस्वीकृति का आधार संहिता एवं नियमों के अनुसार है या नहीं, जैसा कि प्रकरण में लागू हो''। **(ग)** उपनियम (4) में – **(i)** खण्ड (क) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्– **''(क) स्थानीय पुलिस थाने के साथ सूचना साझा करना–** संहिता की धारा 385 की उपधारा (1) के अनुसार, निबंधक को संहिता की धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (घ) के अंतर्गत सहवासी संबंध का कथन प्राप्त होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मात्र अभिलेखीय प्रयोजन हेतु स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के साथ साझा करेगा। **(ii)** खण्ड (ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्– **''(ख) संक्षिप्त जांच–** एक बार कथन प्राप्त होने पर, निबंधक पंजीकरणकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी के संबंध में संक्षिप्त जाँच करेगा। निबंधक संहिता के अनुसार जानकारी की सत्यता की जाँच करेगा।'' **(iii)** खण्ड (ग) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्– **''(ग)** अतिरिक्त सूचना मांगना– यदि निबंधक/महानिबंधक को पंजीकरण कराने वालों से अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता है, तो वह सहवासी संबंध के पंजीकरण के लिए कथन प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर संहिता के भाग–III में विहित आवश्यकताओं से संबंधित ऐसी अतिरिक्त सूचना की मांग करेगा।'' **(iv)** खण्ड (घ) का लोप कर दिया जायेगा। **(v)** खण्ड (च) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्– ''(च) संक्षिप्त जांच करते समय, निबंधक संहिता की धारा 380 की आवश्यकताओं के अनुसार सूचना का सत्यापन करेगा और यदि यह पाया जाता है कि सहवासी संबंध संहिता की धारा 380 का

उल्लंघन करता है तो उसे पंजीकृत करने से इंकार कर देगा।''

(vi) खण्ड (छ) के उपखण्ड (i) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

" (i) निबंधक को यह ज्ञात होने पर कि सहवासी संबंध में रहने के बावजूद, ऐसे सहवासी संबंध के सहवासियों ने सहवासी संबंध का अपना कथन प्रस्तुत नहीं किया है, तो निबंधक संहिता की धारा 386 में निहित प्रावधानों के अनुसार सहवासी संबंध के भागीदारों को नोटिस जारी करेंगे;''

(vii) खण्ड (छ) के उपखण्ड (iii) का लोप कर दिया जायेगा।

(viii) खण्ड (ज) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"**(ज)** निबंधक, संहिता की धारा 387 की जानबूझकर अवज्ञा के मामले में, जहां कहीं भी लागू हो, धारा 387 के अन्तर्गत अपराध के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है।''

(ix) खण्ड (झ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"**(झ)** संक्षिप्त जांच पूर्ण होने के पश्चात् तथा संहिता की धारा 381 की उपधारा (4) के अंतर्गत सहवासी संबंध के कथन की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर निबंधक पंजीकरण प्रमाण पत्र अनुलग्नक–31 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार निर्गत कर सकते हैं, या सहवासी संबंध के पंजीकरण को अस्वीकार करने तथा ऐसी अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करने वाला आदेश पारित कर सकते हैं। अस्वीकृति आदेश में यह भी उल्लेख होगा कि अस्वीकृति प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर महानिबंधक के समक्ष अपील योजित की जा सकती है। अस्वीकृति आदेश का प्रारूप अनुलग्नक–33 में दिया गया है;''

(x) खण्ड (ञ) का लोप कर दिया जायेगा।

(xi) खण्ड (ट) के उपखण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अंतःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्–

"**(iii)** निबंधक, स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक की यह जिम्मेदारी होगी कि वे निहित सूचना की गोपनीयता सुनिश्चित करें।''

(घ) उपनियम (5) में–

(i) खण्ड (क) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"**(क) स्थानीय पुलिस थाने के साथ सूचना साझा करना** – निबंधक, संहिता की धारा 3(4)(ङ) में सहवास संबंध की समाप्ति का कथन प्राप्त होने पर, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसे मात्र अभिलेखीय प्रयोजनों हेतु स्थानीय पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के साथ साझा करेगा।''

(ii) खण्ड (ग) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"**(ग) संक्षिप्त जांच–** एक बार सहवासी संबंध की समाप्ति का कथन प्राप्त होने पर, निबंधक सहवासियों द्वारा प्रदान की गई सूचना की सत्यता हेतु संक्षिप्त जांच करेंगे।''

		(iii) खण्ड (घ) का लोप कर दिया जायेगा। **(iv)** खण्ड (ङ) के उपखण्ड (iii) का लोप कर दिया जायेगा। **(v)** खण्ड (ङ) के उपखण्ड (iv) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्– "(iv) उपरोक्त उपखण्ड (i) और (ii) से आच्छादित मामलों के लिए निबंधक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्थानीय पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी के साथ सूचना साझा करेगा।" **(vi)** खण्ड (च) के उपखण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अंतःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्– "**(iii)** निबंधक, स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक की यह जिम्मेदारी होगी कि वे निहित सूचना की गोपनीयता सुनिश्चित करें।"
नियम 7 का संशोधन	5.	**(1)** मूल नियमावली के नियम 7 में– **(क)** उपनियम (1) में – **(i)** खण्ड (क) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्– "**(क) विवाह पंजीकरण/पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति का ज्ञापन प्राप्त होने पर की जाने वाली संक्षिप्त जांच एवं कार्रवाई–** ज्ञापन प्राप्त हो जाने पर उप–निबंधक संक्षिप्त जांच करेंगे कि विवाह और ज्ञापन संहिता के उपबंधों के अनुरूप है और निर्धारित नियमों में निहित उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे।" **(ii)** खण्ड (ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्– **(ख) अतिरिक्त सूचना की मांग–** यदि उप–निबंधक को पंजीकरणकर्ताओं से अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता है, तो वह विवाह के पंजीकरण या पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति हेतु ज्ञापन प्राप्त होने के पाँच दिनों के भीतर उक्त प्रायोजन के लिए ऐसी प्रासंगिक अतिरिक्त सूचना की मांग करेंगे। त्वरित सेवा (तत्काल सेवा) के अंतर्गत प्रस्तुत ज्ञापन के सापेक्ष, ज्ञापन प्राप्त होने के समय से चौबीस घंटे के अन्तर्गत अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। **(iii)** खण्ड (ग) का लोप कर दिया जायेगा। **(ख)** उपनियम (2) के खण्ड (ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्– "**(ख) अतिरिक्त सूचना की मांग–** यदि उप–निबंधक को पंजीकरणकर्ताओं से अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता है, तो वह विवाह–विच्छेद या विवाह की अकृतता की आज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु ज्ञापन प्राप्त होने के पाँच दिनों के अन्तर्गत उक्त प्रयोजन के लिए प्रासंगिक ऐसी अतिरिक्त सूचना की मांग करेंगे।"

		(ग) उपनियम (3) में– (i) खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) में "आधार संख्या" शब्दों के स्थान पर "पहचान का प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। (ii) खण्ड (ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्– "**(ख) अतिरिक्त सूचना की मांग–** यदि उप–निबंधक को घोषणाकर्ता से अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता है, तो वह विधिक उत्तराधिकारियों की घोषणा हेतु आवेदन प्राप्त होने के पाँच दिनों के अन्तर्गत उक्त प्रायोजन के लिए प्रासंगिक ऐसी अतिरिक्त सूचना की मांग करेंगे।"
नियम 8 का संशोधन	6.	**(1)** मूल नियमावली के नियम 8 में – **(क)** उपनियम (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) में "/धर्म" चिन्ह एवं शब्द का लोप कर दिया जायेगा तथा "तीस दिनों" शब्दों के स्थान पर "पैंतालिस दिनों" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। **(ख) उपनियम (2) में** खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) का लोप किया जाएगा। **(ग) उपनियम (3) में** – (i) खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) में "दस" शब्द के स्थान पर "तीस" शब्द प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा। (ii) खण्ड (ग) के उपखण्ड (iii) का लोप कर दिया जायेगा।
नियम 9 का संशोधन	7.	**(1)** मूल नियमावली के नियम 9 में – **(क)** उपनियम (3) में– **(i)** खण्ड (घ) में "आधार संख्या" शब्दों के स्थान पर"पहचान का प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। **(ii)** खण्ड (ङ) के उपखण्ड (i) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्– "(i) क्या विवाह में सम्मिलित कोई पक्ष पहले से ही विवाहित है अथवा यदि वह पहले से विवाहित है, तो क्या संबंधित पक्ष को बहुविवाह की अनुमति विधिक उपबंधों के अंतर्गत प्राप्त है; तथा" **(iii)** खण्ड (छ) का लोप कर दिया जायेगा। **(iv)** खण्ड (ठ) में "आधार संख्या" शब्दों के स्थान पर "पहचान का प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। **(v)** खण्ड (ड) के उपखण्ड (iv) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्–

		"(iv) पूर्व संबंध के विघटन का प्रमाण, यदि कोई हो– यदि विवाह में शामिल कोई पक्ष पूर्व से विवाहित था या सहवास संबंध में रह रहा था।" **(ख)** उपनियम (9) में– **(i)** खण्ड (ख) तथा खण्ड (ग) का लोप कर दिया जायेगा। **(ii)** खण्ड (ङ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्– "(ङ) यदि विवाह में शामिल पक्षकारों में से एक विदेशी नागरिक है, तो ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञापन तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, जब तक कि विदेशी नागरिक को आधार कार्ड या अन्य लागू पहचान प्रमाण जारी नहीं कर दिया जाता।"
नियम 10 का संशोधन	8.	मूल नियमावली के नियम 10 के उपनियम (5) में, खण्ड (ख) एवं (ग) का लोप कर दिया जायेगा।
नियम 12 का संशोधन	9.	**(1)** मूल नियमावली के नियम 12 में– **(क)** उपनियम (3) में खण्ड (ख), खण्ड (घ) एवं खण्ड (ङ) में "आधार संख्या" शब्दों के स्थान पर "पहचान का प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। **(ख)** उपनियम (6) में– **(i)** खण्ड (ख) एवं (ग) का लोप कर दिया जायेगा। **(ii)** खण्ड (ङ) एवं खण्ड (च) में, "आधार" शब्द के स्थान पर "पहचान के प्रमाण के" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।
नियम 14 का संशोधन	10.	मूल नियमावली के नियम 14 के उपनियम (2) में– **(क)** खण्ड (ख) में, उपखण्ड (ii) एवं (iii) का लोप कर दिया जायेगा। **(ख)** खण्ड (ङ) में– **(i)** उपखण्ड (i) में "आधार संख्या" शब्दों के स्थान पर "पहचान का प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। **(ii)** उपखण्ड (iv) में "आधार संख्या" शब्दों के स्थान पर "पहचान का प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। **(iii)** उपखण्ड (xv) में "आधार संख्या" शब्दों के स्थान पर "पहचान का प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। **(iv)** उपखण्ड (xvi) एवं (xvii) में "आधार" शब्द के स्थान पर "पहचान के प्रमाण के" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

		(ग) खण्ड (च) में– **(i)** उपखण्ड (i), (ii), (iii), (iv) एवं (v) में, "आधार संख्या" शब्दों के स्थान पर ''पहचान का प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे तथा ''आधार से संबद्ध'' शब्दों का लोप कर दिया जायेगा। **(ii)** उपखण्ड (vii) तथा (viii) में, "आधार संख्या" शब्दों के स्थान पर ''पहचान का प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। **(iii)** उपखण्ड (ix), (x) तथा (xi) में ''आधार'' शब्द के स्थान पर ''पहचान के प्रमाण के'' शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। **(घ)** खण्ड (छ) में– **(i)** उपखण्ड (i) में, "आधार संख्या" शब्दों के स्थान पर ''पहचान का प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे तथा ''आधार से संबद्ध'' शब्दों का लोप कर दिया जायेगा। **(ii)** उपखण्ड (iii) में, "आधार संख्या" शब्दों के स्थान पर ''पहचान का प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। **(iii)** उपखण्ड (iv) तथा (v) में ''आधार'' शब्द के स्थान पर ''पहचान के प्रमाण के'' शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। **(ङ)** खण्ड (ज) में– **(i)** उपखण्ड (ii) में ''आधार'' शब्द के स्थान पर ''पहचान के प्रमाण के'' शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। **(ii)** उपखण्ड (iii) में, "आधार संख्या" शब्दों के स्थान पर ''पहचान का प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। **(iii)** उपखण्ड (iv) में, "आधार" शब्द के स्थान पर ''पहचान के प्रमाण के" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। **(च)** खण्ड (झ) में– **(i)** उपखण्ड (ii), (iii), (iv) तथा (v) में, "आधार संख्या" शब्दों के स्थान पर ''पहचान का प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे तथा ''आधार से संबद्ध '' शब्दों का लोप कर दिया जायेगा। **(ii)** उपखण्ड (vii) तथा (viii) में, "आधार संख्या" शब्दों के स्थान पर ''पहचान का प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। **(iii)** उपखण्ड (ix), (x) तथा (xi) में ''आधार'' शब्द के स्थान पर ''पहचान के प्रमाण के'' शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। **(छ)** खण्ड (ञ) में – (i) उपखण्ड (ii) में ''आधार'' शब्द के स्थान पर ''पहचान के प्रमाण का" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। (ii) उप–खण्ड (iii) में, "आधार संख्या" शब्दों के स्थान पर ''पहचान

		का प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। (iii) उपखण्ड (iv) में ''आधार'' शब्द के स्थान पर ''पहचान के प्रमाण के'' शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। **(ज)** खण्ड (ट) में – (i) उपखण्ड (ii) में ''आधार'' शब्द के स्थान पर ''पहचान के प्रमाण के'' शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। (ii) उपखण्ड (iii) में, "आधार संख्या" शब्दों के स्थान पर ''पहचान का प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। (iii) उपखण्ड (iv) में ''आधार'' शब्द के स्थान पर ''पहचान के प्रमाण के'' शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। **(झ)** खण्ड (ठ) में – (i) उपखण्ड (ii) में ''आधार'' शब्द के स्थान पर ''पहचान के प्रमाण के'' शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। (ii) उपखण्ड (iii) में, "आधार संख्या" शब्दों के स्थान पर ''पहचान का प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। (iii) उपखण्ड (iv) में ''आधार'' शब्द के स्थान पर ''पहचान के प्रमाण के'' शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। **(ञ)** खण्ड (ड) में – (i) उपखण्ड (ii) में ''आधार'' शब्द के स्थान पर ''पहचान के प्रमाण के'' शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। (ii) उपखण्ड (iii) में, "आधार संख्या" शब्दों के स्थान पर ''पहचान का प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। (iii) उपखण्ड (iv) में ''आधार संख्या'' शब्दों के स्थान पर ''पहचान के प्रमाण'' शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।
नियम 15 का संशोधन	11.	मूल नियमावली के नियम 15 में– **(क)** उपनियम (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्– **"(2) सहवासी संबंध का पंजीकरण–** उपनियम (1) के अंतर्गत सहवासी संबंध के वर्गीकरण के आधार पर, सहवासी संबंध का पंजीकरण तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है, जो संक्षिप्त जाँच के परिणाम के अधीन होगा।" **(ख)** उपनियम (3) में – **(i)** खण्ड (घ) का लोप कर दिया जायेगा। **(ii)** खण्ड (ङ) में, "आधार संख्या" शब्दों के स्थान पर ''पहचान का प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे तथा ''श्रेणी

		(समान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य); आधार से संबद्ध'' शब्दों का लोप कर दिया जायेगा। **(iii)** खण्ड (ञ) में, उपखण्ड (iv), (v), (vi) एवं (vii) का लोप कर दिया जायेगा। **(ग)** उपनियम (3) के पश्चात, एक नया उपनियम (3क) निम्नवत् अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्,– **''(3क) सहवासी सम्बन्ध के कथन में सम्मिलित की जा सकने वाली सूचना**–निम्नलिखित सूचना सहवासी सम्बन्ध के पक्षकारों के विकल्प पर प्रस्तुत की जा सकती हैं– **(क)** साझा गृहस्थी/आवास का विवरण, जिसे साझी गृहस्थी के रूप में उपयोग किया जाना है– **(i)** जिन पंजीकरणकर्ताओं का पहले से ही सहवासी सम्बन्ध विद्यमान है, उनके लिये साझा गृहस्थी का पता, चाहे वह उत्तराखण्ड के अन्तर्गत हो या उत्तराखण्ड के बाहर परन्तु भारत के क्षेत्र में स्थित हो; **(ii)** जो पंजीकरणकर्ता सहवासी सम्बन्ध में प्रवेश करने के इच्छुक हैं तथा उनके पास पहले से ऐसा आवास है जिसे वे साझी गृहस्थी के रूप में उपयोग करना चाहते हैं उस आवास का पता तथा यह स्पष्टतः वर्णित किया जाए कि वह आवास संयुक्त स्वामित्व में है, पुरुष के नाम है, महिला के नाम है, माता–पिता के नाम है या किसी अन्य नातेदार के नाम है; **(ख) अभिभावकत्व का प्रकार** – माता–पिता अथवा विधिक अभिभावक; **(ग) पूर्ववर्ती संबंध प्रास्थिति**– क्या पंजीकरणकर्ता एक दूसरे से संबंधित हैं और यदि हां, तो पंजीकरणकर्ताओं के बीच वास्तविक संबंध क्या है और क्या संबंध संहिता की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत परिभाषित निषिद्ध संबंध की सीमा के अंतर्गत है। **(घ) बच्चों का विवरण—यदि कोई हों** – **(i)** वर्तमान सहवासी सम्बन्ध आरम्भ होने के पूर्व किसी दिनांक से एक या दोनों पंजीकरणकर्ताओं से सम्बंधित बच्चे के लिये – नाम; लिंग; तथा जन्म/दत्तक ग्रहण की दिनांक; **(ii)** वर्तमान में सहवासी सम्बन्ध में रह रहे दोनों पंजीकरणकर्ताओं के संयुक्त बच्चे के लिये – नाम; लिंग; तथा जन्म/दत्तक ग्रहण की दिनांक।

		(ङ) सहायक अभिलेख – उपरोक्त खंडों के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी के समर्थन हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रस्तुत/अपलोड की जानी चाहिए :— **(i) बच्चों का प्रमाण** – बच्चे के जन्म/दत्तक ग्रहण प्रमाणपत्र; **(ii) पंजीकरणकर्ता व्यक्तियों के बीच विवाह की अनुमति का प्रमाण, यदि वे निषिद्ध संबंध की श्रेणी में आते हैं** – किसी धार्मिक नेता/समुदाय प्रमुख या संबंधित धार्मिक/सामुदायिक निकाय के किसी पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र कि पंजीकरणकर्ता व्यक्तियों के रीति–रिवाज और प्रथाएँ उनके बीच विवाह की अनुमति देती हैं। इस प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुलग्नक–27 में दिया गया है।'' **(घ)** उपनियम (4) में "आधार से संबद्ध" एवं ''आधार के अनुसार" शब्दों का लोप कर दिया जायेगा। **(ङ)** उपनियम (7) के खण्ड (ख), (ग) एवं (ङ) का लोप कर दिया जायेगा।
नियम 16 का संशोधन	12.	मूल नियमावली के नियम 16 में,– **(i)** उपनियम (2) के खण्ड (घ) में, ''बच्चों का विवरण'' शब्दों के पश्चात् ''यदि कोई हो'' चिन्ह् एवं शब्द अन्तः स्थापित कर दिये जायेंगे; **(ii)** उपनियम (3) के खण्ड (ख) का लोप कर दिया जायेगा।''
नियम 17 का संशोधन	13.	मूल नियमावली के, नियम 17 के, उपनियम (2) का लोप कर दिया जायेगा।
नियम 18 का संशोधन	14.	मूल नियमावली के, नियम 18 के, उपनियम (2) का लोप कर दिया जायेगा।
नियम 20 का संशोधन	15.	**(1)** मूल नियमावली में, नियम 20 में,– **(क)** उपनियम (1) में – **(i)** खण्ड (क) में, ''विशिष्ट क्षेत्र में'' शब्दों के पश्चात् ''केवल'' शब्द तथा '' विवाहों के पंजीकरणों की'' शब्दों के पश्चात् ''कुल'' शब्द रख दिये जायेंगे। **(ii)** खण्ड (ख) में, ''किसी व्यक्ति की'' शब्दों के पश्चात् ''सभी एकत्रित'' शब्द अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे। **(ख)** उपनियम (2) का लोप कर दिया जायेगा। **(ग)** उपनियम (7) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) में ''आधार संख्या'' शब्दों के स्थान पर ''पहचान का प्रमाण'' शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

		(घ) उपनियम (8) में– **(i)** खण्ड (क) एवं खण्ड (ख) में "/अनंतिम प्रमाण–पत्र" चिन्ह एवं शब्दों का लोप कर दिया जायेगा। **(ii)** खण्ड (ग) में "/अस्थायी प्रमाण–पत्र" चिन्ह् एवं शब्दों का लोप कर दिया जायेगा।
प्रपत्रों का संशोधन	16.	**मूल नियमावली में –** **(1) प्रपत्र 1 में–** **(i)** क्रमांक 18 तथा 34 में "(आधार से सम्बद्ध)" चिन्ह् एवं शब्दों का लोप कर दिया जायेगा। **(ii)** चरण 10 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्– **चरण 10 – दस्तावेज़** • पत्नी एवं पति की फोटो • पत्नी एवं पति के आधार कार्ड की प्रति • पत्नी एवं पति के पैन कार्ड की प्रति या • पत्नी एवं पति के मतदाता पहचान पत्र की प्रति या • पत्नी एवं पति के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति या • पत्नी एवं पति के राशन कार्ड की प्रति या • पत्नी एवं पति के पासपोर्ट की प्रति • ज्ञापन में उल्लिखित अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़। **(2) प्रपत्र 2 में–** (i) क्रमांक 13 और 27 में "(आधार से संबद्ध)" चिन्ह् एवं शब्दों का लोप कर दिया जायेगा। (ii) चरण 8 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्– **चरण 8–दस्तावेज़** • पत्नी एवं पति की फोटो • पत्नी एवं पति के आधार कार्ड की प्रति • पत्नी एवं पति के पैन कार्ड की प्रति या • पत्नी एवं पति के मतदाता पहचान पत्र की प्रति या • पत्नी एवं पति के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति या • पत्नी एवं पति के राशन कार्ड की प्रति या • पत्नी एवं पति के पासपोर्ट की प्रति • ज्ञापन में उल्लिखित अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़।

		(3) प्रपत्र 3 में – (i) क्रमांक 15 एवं 31 में ''पूर्व वैवाहिक स्थिति'' शब्दों के स्थान पर ''वर्तमान वैवाहिक स्थिति'' शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। (ii) क्रमांक 15 एवं 31 में ''समाप्त सहवासी संबंध" तथा ''सहवासी साथी की मृत्यु" चिन्ह् एवं शब्दों का लोप कर दिया जायेगा। (iii) क्रमांक 16 एवं 32 में "(आधार से संबंद्ध)'' चिन्ह् एवं शब्दों का लोप कर दिया जाएगा। (iv) क्रमांक 27, 31 में चिन्ह् '' * '' का लोप किया जाएगा। (v) चरण 4 में चिन्ह् '' * '' तथा ''नोट – यदि किसी भी सहवासी की आयु 21 वर्ष से कम है तो चरण 4 अनिवार्य चरण है'' चिन्ह् एवं शब्दों का लोप कर दिया जायेगा। (vi) क्रमांक 38 में चिन्ह् '' * '' तथा ''नोट – यदि कोई स्थान नहीं का चयन किया गया है तो चरण 5 को छोड़े और चरण 6 पर जायें'' चिन्ह एवं शब्दों का लोप कर दिया जायेगा। (vii) क्रमांक 40, 41, 42, 43 एवं 44 में चिन्ह् '' * '' का लोप कर दिया जाएगा। (viii) चरण 9 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्– **चरण 9 – दस्तावेज़** • महिला और पुरुष की फोटो • महिला एवं पुरुष के आधार कार्ड की प्रति • महिला एवं पुरुष के पैन कार्ड की प्रति या • महिला एवं पुरुष के मतदाता पहचान पत्र की प्रति या • महिला एवं पुरुष के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति या • महिला एवं पुरुष के पासपोर्ट की प्रति या • महिला एवं पुरुष के राशन कार्ड की प्रति • ज्ञापन/स्टेटमेंट में उल्लिखित अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़। **(4) प्रपत्र 4 में –** (i) क्रमांक 8 का लोप कर दिया जाएगा। (ii) चरण 6 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् • **चरण 6–दस्तावेज़** • महिला एवं पुरुष की फोटो • महिला एवं पुरुष के आधार कार्ड की प्रति • महिला एवं पुरुष के पैन कार्ड की प्रति या • महिला एवं पुरुष के मतदाता पहचान पत्र की प्रति या

		• महिला एवं पुरुष के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति या • महिला एवं पुरुष के पासपोर्ट की प्रति या • महिला एवं पुरुष के राशन कार्ड की प्रति • ज्ञापन में उल्लिखित अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़।
अनुलग्नकों का संशोधन		**मूल नियमावली में –** (i) अनुलग्नक 6 और अनुलग्नक 28 में, क्रमांक 1 में "पंजीकरणकर्ता की आधार संख्या" शब्दों के स्थान पर "पंजीकरणकर्ता का आधार/पहचान का प्रमाण" चिन्ह् एवं शब्द प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे। (ii) अनुलग्नक 29, अनुलग्नक 32 तथा अनुलग्नक 36 का लोप कर दिया जाएगा।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या–1627/XX–5–2025–03(40)2025, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5– प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
11– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को राजकीय गजट में प्रकाशित कर अधिसूचना की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12– विभागीय आदेश पुस्तिका/एन0आई0सी0।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. / /XX(5)/25/03(40)2025 Dated : November 2025 for general information.

Uttarakhand Government
Home Section-5
No-1627 /XX-5-2025-03(40)2025
Dehradun: Dated : 9, November, 2025

Notification

In exercise of the powers under sections 48, 389 and 391 of the Uniform Civil Code, Uttarakhand, 2024, the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uniform Civil Code Rules, Uttarakhand, 2025, namely:-

The Uniform Civil Code (Fourth Amendment) Rules, Uttarakhand, 2025

Short title and commencement	1.	(1) These rules may be called the Uniform Civil Code (Fourth Amendment) Rules, Uttarakhand, 2025. (2) They shall come into force at once.
Amendment of Rule 3	2.	In Rule 3 of the Uniform Civil Code Rules, Uttarakhand, 2025 (hereinafter referred to as the Principal Rules):— (i) After clause (p) of sub-rule (1), the following clause shall be inserted, namely:— "(pp) Proof of Identity" means Aadhaar Card / Passport / Voter ID Card / Ration Card / PAN Card / Driving License / any other valid Identity Card issued by the Central or State Government."
Amendment of Rule 5	3.	In sub-rule (4) of rule 5 of the Principal Rules— (i) In clause (a), sub-clause (ii) shall be substituted as follows, namely:— "(ii) Within thirty days of the receipt of the forwarded statement of live-in relationship, the Registrar General shall get the summary inquiry conducted by an official designated by him. The summary inquiry shall be conducted in the manner as prescribed under the Code and Rules."

		(ii) In clause (b),— (a) sub-clause (i) shall be substituted as follows, namely:— "(i) The Registrar General shall carefully consider the ground(s) on the basis of which the statement for registration of live-in relationship was rejected and check whether the ground(s) for rejection is/are as per Code and the Rules." (b) sub-clause (vi) shall be substituted as follows, namely:— "(vi) After following the steps mentioned in clause (i) to (iv) above, if the Registrar General comes to the conclusion that the rejection order passed by the registrar is erroneous, he shall award the appeal by passing a reasonable order, the format of which is provided in annexure 35. In such a case the registrar general shall also issue the certificate of registration of live-in relationship as per Annexure-31."
Amendment of Rule 6	4.	In rule 6 of the Principal Rules— (A) In sub-rule (1), sub-clause (*i*) of clause (b), shall be substituted as follows, namely:— "(i) The Registrar shall carefully consider the ground(s) on the basis of which the memorandum for registration of marriage/ acknowledgement of registered marriage, was rejected and check whether the ground(s) for rejection is/are prescribed under the Code and the Rules; " (B) In sub rule (3), sub-clause (i) of clause (b) shall be substituted as follows, namely:— "(i) The Registrar shall carefully consider the ground(s) on the basis of which the application for declaration of legal heir(s) was rejected and check whether the ground(s) for rejection is/are as per Code and Rules, as the case may be;" (C) In sub-rule (4)— (i) Clause (a) shall be substituted as follows namely:— **"(a) Sharing of Information with the Local Police Station** - Pursuant to sub section (1) of section 385 of the

Code, the Registrar on receipt of a statement of live in relationship under clause (d) of sub-section (4) of section 3 of the Code, shall share the same with the officer in-charge of the local Police Station only for the purpose of record in accordance with the procedure prescribed."

(ii) Clause (b) shall be substituted as follows, namely:—

"**(b) Summary Inquiry** - Once a statement is received, the Registrar shall conduct a summary inquiry relating to the information provided by the registrants. The Registrar shall check the veracity of the information in accordance with the Code. "

(iii) Clause (c) shall be substituted as follows, namely:—

"**(c) Asking for Additional Information** - If the Registrar/Registrar General needs additional information from the registrants, she/he shall ask for such additional information relating to the requirements under Part-III of the Code within ten days of the receipt of statement for registration of live-in relationship."

(iv) Clause (d) shall be omitted.

(v) Sub clause (i) of Clause (f) shall be substituted as follows, namely:—

"(f) While conducting a summary inquiry, the Registrar shall verify the information in accordance with the requirements of section 380 of the Code and refuse to register the live-in relationship if it is found to be in violation of section 380 of the Code;"

(vi) In sub-clause (i) of clause (g), shall be substituted as follows, namely:—

"(i) When a Registrar comes to know that despite being in a live-in relationship, the partners to such live-in relationship have not submitted their statement of live- in relationship the Registrar shall issue a notice to the live-in partners pursuant to the provisions contained in section 386 of the Code;"

(vii) Sub-clause (iii) of clause (g) shall be omitted.

		(viii) Clause (h) shall be substituted as follows, namely:— "(h) The Registrar, in case of willful disobedience of the section 387 of the Code, may file a complaint before the competent magistrate for the commission of offence wherever applicable under section 387 of the Code." (ix) Clause (*i*), shall be substituted as follows, namely:— "(*i*)After the completion of a summary inquiry and within 30 days from the receipt of the statement of live-in relationship, under sub-section (4) of section 381 of the Code the Registrar may issue a registration certificate as per the format prescribed in Annexure – 31, or pass an order rejecting the registration of live-in relationship, mentioning therein the reason(s) for such rejection. The rejection order shall also mention that an appeal may be filed against it with the Registrar General within forty-five days of the receipt of the rejection order. A format of the rejection order is provided in Annexure – 33." (x) Clause (j) shall be omitted. (xi) After sub-clause (ii) of clause (k), the following sub-clause shall be inserted, namely:— "(iii) It shall be the responsibility of the Registrar, officer-in-charge of the local Police Station and the District Superintendent of Police to ensure the privacy of the information contained therewith." (D) In sub-rule (5),— (i) Clause (a) shall be substituted as follows, namely:— **"(a) Sharing of Information with the Local Police Station** - The Registrar, on receipt of a statement of termination in terms of section 3(4)(e) of the Code of live-in relationship, shall share the same with the officer in-charge of the local Police Station only for the purposes of record in accordance with the procedure prescribed" (ii) Clause (c), shall be substituted as follows, namely:— "(c) Summary Inquiry- Once a statement of termination of live-in-relationship is received, the Registrar shall conduct a summary inquiry to check the veracity of

		information provided by the live-in partner(s)" (iii) Clause (d) shall be omitted. (iv) sub-clause (iii) of clause (e) shall be omitted. (v) sub-clause (iv) of clause (e), shall be substituted as follows, namely:— "(e) For cases covered under sub clause (i) & (ii) above, the Registrar shall share the information with the officer in- charge of the local Police Station in accordance with the procedure prescribed." (vi) After sub-clause (ii) of clause (f), the following sub-clause shall be inserted, namely:— "(iii) It shall be the responsibility of the Registrar, officer-in-charge of the local Police Station and the District Superintendent of Police to ensure the privacy of the information contained therewith."
Amendment of Rule 7	5.	(1) In Rule 7 of the Principal Rules— (A) In sub-rule (1)— (i) Clause (a) shall be substituted as follows, namely:— "(a) **Summary inquiry to be conducted on receipt of a memorandum for registration of marriage/ acknowledgment of registered marriage and actions to be taken-** Once a memorandum is received, the sub-registrar shall conduct a summary inquiry to ascertain if the marriage and the memorandum is in accordance with the provisions of the Code and take necessary action in accordance with the provisions contained in the prescribed rules." (ii) Clause (b) shall be substituted as follows, namely:— "(b) **Asking for Additional Information** - If the Sub-Registrar needs additional information from the registrant(s), he shall ask for such additional information as may be relevant within five days of the receipt of a memorandum for registration of marriage or for acknowledgment of registered marriage. Against the

		memorandum submitted under Accelerated Service (Tatkal Sewa), the additional information/clarification shall be sought within twenty-four hours from the time the memorandum is received." (iii) clause (c) shall be omitted. (B) Clause (b) of sub-rule (2) shall be substituted as follows, namely:— "(b) **Asking for Additional Information** - If the Sub-Registrar needs additional information from the registrant(s), he shall ask for such additional information as may be relevant for the said purpose within five days from the receipt of the memorandum for registration of decree of divorce or nullity of marriage." (C) In sub-rule (3),— (i) sub-clause (ii) of clause (a), for the words "Aadhaar number(s)", the words "Proof of Identity" shall be substituted; (ii) Clause (b) shall be substituted as follows, namely:— "(b) **Asking for Additional Information-** If the sub-registrar needs additional information from the declarant, he shall ask for such additional information as may be relevant for the said purpose within five days of the receipt of an application for declaration of legal heir(s)."
Amendment of Rule 8	6.	(1) In rule 8 of the principal rules- (A) in sub-rule (1) in sub-clause (i) of clause (c), the symbol and the word "/religion" shall be omitted; and for the words "thirty days", the words "forty-five days" shall be substituted. (B) in sub-rule (2) sub clause (i) of clause (c) shall be omitted. (C) in sub-rule (3)- (i) Sub-clause (i) of clause (c), for the word "ten", the word "thirty" shall be substituted; (ii) Sub-clause (iii) of clause (c) shall be omitted.
Amendment of Rule 9	7.	(1)) In rule 9 of the principal rules- (A) in sub-rule (3)—

		(i) In clause (d), for the words "Aadhaar number(s)", the words "Proof of identity" shall be substituted; (ii) sub-clause (i) of clause (e), shall be substituted as follows, namely:— "(i) Whether a party to the marriage is already married or, if already married, whether statutory provisions permit polygamous relationship to the party concerned; and" (iii) Clause (g) shall be omitted; (iv) In clause (l), for the words "Aadhaar numbers", the words "Proof of identity" shall be substituted; (v) Sub clause (iv) of clause (m), shall be substituted as follows namely:— "(iv) Proof of dissolution of previous relationship, if any- In case a party to the marriage was earlier married or in a live-in relationship." (B) In sub-rule (9),— (i) Clauses (b) and (c) shall be omitted; (ii) Clause (e) shall be substituted as follows, namely:— "(e) If one of the parties to the marriage is a foreign national, the memorandum cannot be submitted through the online registration process until the foreign national gets an Aadhaar Card or other applicable identity proof issued."
Amendment of Rule 10	8.	In sub-rule (5) of rule 10 of the Principal Rules, clauses (b) and (c) shall be omitted.
Amendment of Rule 12	9.	(1) In rule 12 of the principal rules- (A) In sub-rule (3) in clause (b), (d) and clause (e) for the words "Aadhaar number(s)", the words "Proof of identity" shall be substituted; (B) In sub-rule (6)— (i) clauses (b) and (c) shall be omitted; (ii) In clause (e) and clause (f) for the word "Aadhaar", the words "Proof of identity" shall be substituted;
Amendment of Rule 14	10.	(1) In sub rule (2) of Principal Rules 14–

		(A) In clause (b) sub-clauses (ii) and (iii) shall be omitted.
		(B) In clause (e) —
		(i) In sub-clause (i), for the words "Aadhaar number", the word "Proof of identity" shall be substituted;
		(ii) In sub-clause (iv), for the words "Aadhaar number(s)", the words "Proof of identity" shall be substituted;
		(iii) In sub-clause (xv), for the words "Aadhaar numbers", the words "of Proof of identity" shall be substituted;
		(iv) In sub-clause (xvi) and (xvii), for the word "Aadhaar", the words "Proof of identity" shall be substituted;
		(C) In clause (f) —
		(i) In sub-clauses (i), (ii), (iii), (iv) and (v), for the words "Aadhaar number(s)" the words "Proof of identity", shall be substituted and the words "linked with Aadhaar" shall be omitted;
		(ii) In sub-clauses (vii) and (viii), for the words "Aadhaar number(s)" the words "Proof of identity", shall be substituted;
		(iii) In sub-clauses (ix), (x) and (xi), for the word "Aadhaar", the words "of Proof of identity" shall be substituted.
		(D) In clause (g) —
		(i) In sub-clauses (i), for the words "Aadhaar number(s)" the words "Proof of identity" shall be substituted and the words "linked with Aadhaar" shall be omitted;
		(ii) In sub-clause (iii), for the words "Aadhaar number(s)", the words "Proof of identity" shall be substituted;
		(iii) In sub-clause (iv) and (v), for the word "Aadhaar", the words "Proof of identity" shall be substituted.
		(E) In clause (h) —
		(i) In sub-clauses (ii), for the word "Aadhaar", the words "Proof of identity" shall be substituted;

		(ii) In sub-clause (iii), for the words "Aadhaar number(s)" the words "Proof of identity", shall be substituted. (iii) In sub-clause (iv), for the word "Aadhaar" the words "Proof of identity", shall be substituted. (F) in clause (*i*) — (i) In sub-clauses (ii), (iii), (iv) and (v) for the words "Aadhaar number(s)", the words "Proof of identity", shall be substituted and the words "linked with Aadhaar" shall be omitted; (ii) In sub-clause (vii) and (viii), for the words"Aadhaar number(s)", the words "Proof of identity", shall be substituted; (iii) In sub-clauses (ix), (x) and (xi), for the word "Aadhaar", the words "of Proof of identity" shall be substituted. (G) In clause (j) — (i) In sub-clause (ii), for the word "Aadhaar" the words "Proof of identity" shall be substituted; (ii) In sub-clause (iii), for the words "Aadhaar number(s)" the words "Proof of identity" shall be substituted; (iii) In sub-clause (iv), for the word "Aadhaar" the words "Proof of identity" shall be substituted. (H) In clause (k), — (i) In sub-clause (ii), for the word "Aadhaar" the words "Proof of identity" shall be substituted; (ii) In sub-clause (iii), for the words "Aadhaar number(s)" the words "Proof of identity" shall be substituted; (iii) In sub-clause (iv), for the word "Aadhaar" the words "Proof of identity" shall be substituted. (I) In clause (l) — (i) In sub-clause (ii), for the word "Aadhaar" the words "Proof of identity" shall be substituted; (ii) In sub-clause (iii), for the words "Aadhaar number(s)" the words "Proof of identity" shall be substituted; (iii) In sub-clause (iv), for the word "Aadhaar" the words "Proof of identity" shall be substituted.

		(J) In clause (m) — (i) In sub-clause (ii), for the word "Aadhaar" the words "Proof of identity" shall be substituted; (ii) In sub-clause (iii), for the words "Aadhaar number(s)" the words "Proof of identity" shall be substituted; (iii) In sub-clause (iv), for the word "Aadhaar number(s)" the words "Proof of identity" shall be substituted.
Amendment of Rule 15	11.	(1) In rule 15 of the principal rules— (A) Sub rule (2) shall be substituted as follows, namely:— **"(2) Registration of Live-in Relationship -** Based on the classification of live-in relationship under sub rule (1), the registration of live-in relationship and a registration certificate may be issued, subject to the outcome of a summary inquiry." (B) In sub-rule (3) — (i) Clause (d) shall be omitted. (ii) In clause (e), for the words "Aadhaar number(s)" the words "Proof of identity", shall be substituted and the words "Category (General/SC/OBC/Others);" and "linked with Aadhaar" shall be omitted. (iii) Clause (j), sub-clauses (iv), (v), (vi) and (vii) shall be omitted. (C) After sub-rule (3), a new sub-rule (3A) shall be inserted, as follows namely:— **"(3A) Information that may be included in the Statement of Live-in Relationship:** The following information may be furnished at the option of the parties to the Live-In relationship – (a) Details of the Shared Household/Accommodation to be used as a Shared Household – (i) For registrants already in a live-in relationship, the address of the shared household whether within the territory of Uttarakhand or outside the territory of

		Uttarakhand but within the territory of Bharat; (ii) For registrants intending to enter into a live-in relationship and already having an accommodation to be used as a shared household, the address of the same and whether such shared household is jointly owned, owned by man, owned by woman, owned by parent(s), owned by other relative(s), shall be clearly mentioned; (b) **Type of Guardianship** – Parent(s) or Legal Guardian(s); (c) **Previous Relationship Status** -Whether the registrants are related to each other and, if so, the exact relationship between the registrants and whether the relationship is within the degrees of prohibited relationship defined under clause (d) of sub-section (1) of section 3 of the Code. (d) **Details of Children, if any** – (i) For a child belonging to one or both Registrant(s) from a date prior to the current Live- in Relationship - Name; Gender and Date of birth/adoption; (ii) For a child belonging to both Registrants jointly of current Live-in Relationship - Name; Gender and Date of birth/adoption. (e) **Supporting Documents** - For supporting the information to be furnished under above clauses, copies of the following documents need to be provided/uploaded – (i) **Proof of Child** - Birth/adoption certificate of the child; (ii) **Proof of permissibility of Marriage between the Registrants if they are within the Degrees of Prohibited Relationship** - A certificate issued by an official of a religious leader/community head or official of a religious/community body concerned that the customs & usage governing the registrants permit marriage between them. A format of the requisite certificate is prescribed in Annexure – 27." (D) In sub-rule (4), the words "linked with Aadhaar" and the words "as per Aadhaar" shall be omitted. (E) In sub-rule (7), clauses (b), (c) and (e) shall be omitted.

Amendment of Rule 16	12.	In rule 16 of the principal rules- (i) In clause (d) of sub-rule (2), after the words "Details of Child" the symbol and words ",if any" shall be inserted. (ii) Clause (b) of sub-rule (3), shall be omitted.
Amendment of Rule 17	13.	Sub-rule (2) of rule 17 of the Principal Rules shall be omitted.
Amendment of Rule 18	14.	Sub-rule (2) of rule 18 of the Principal Rules shall be omitted.
Amendment of Rule 20	15.	In rule 20 of Principal Rules— (A) In sub-rule (1)- (i) In clause (a), after the words "relating" the word "only" and after the word "to" the words "the total" shall be inserted. (ii) In clause (b), after the words "Restricted access-", the words "All the" and after the words "Personal information" the word "collected" shall be inserted. (B) Sub-rule (2) shall be omitted. (C) In sub-clause (i) of clause (c) of sub-rule (7), for the words "Aadhaar number" the words "proof of identity" shall be substituted. (D) In sub rule (8)- (i) In clause (a) and clause (b), the sign and the words "/provisional certificate" shall be omitted. (ii) In clause (c), the sign and the words "/provisional certificate" shall be omitted.
Amendments of Forms	16.	In the Principal Rules— (1) In Form-1— (i) At serial numbers 18 and 34 the words and sign"(linked with Aadhaar)" shall be omitted. (ii) Step 10 shall be substituted as follows, namely:— STEP 10 – Documents • Photo of Wife and Husband • Copy of Wife's and Husband's Aadhaar Card • Copy of Wife's and Husband's PAN Card or • Copy of Wife's and Husband's Voter Identity Card or • Copy of Wife's and Husband's Driving Licence or • Copy of Wife's and Husband's Ration Card or

• Copy of Wife's and Husband's Passport
• Other relevant documents mentioned in the Memorandum.

(2) In Form-2—

(i) At serial numbers 13 and 27 the words and sign "(linked with Aadhaar)" shall be omitted.

(ii) Step 8 shall be substituted as follows, namely:—
STEP 8 – Documents
• Photo of Wife and Husband
• Copy of Wife's and Husband's Aadhaar Card
• Copy of Wife's and Husband's PAN Card or
• Copy of Wife's and Husband's Voter Identity Card or
• Copy of Wife's and Husband's Driving Licence or
• Copy of Wife's and Husband's Ration Card or
• Copy of Wife's and Husband's Passport
• Other relevant documents mentioned in the Memorandum.

(3) In Form-3—

(i) In serial numbers 15 and 31 for the words "previous relations status" the words "present relationship status" shall be substituted.

(ii) In serial numbers 15 and 31, the words "terminated live-in" and "live-in partner deceased" shall be omitted.

(iii) At serial numbers 16 and 32, sign and the words "(Linked with Aadhaar)" shall be omitted.

(iv) At serial numbers 27 and 31 the sign "*" shall be omitted.

(v) In Step 4, the sign "* " and the words "Note- If age is below 21 years of either of the partner then step 4 is mandatory step" shall be omitted.

(vi) At serial number 38 the sign "* " and the words "Note- If chosen no place then skip step 5 and go to step 6" shall be omitted.

(vii) At serial numbers 40, 41, 42, 43 and 44 the sign "* " shall be omitted.

		(viii) Step 9 shall be substituted as follows, namely:— STEP 9 – Documents • Photo of Woman and Man • Copy of Woman's and Man's Aadhaar Card • Copy of Woman's and Man's PAN Card or • Copy of Woman's and Man's Voter Identity Card or • Copy of Woman's and Man's Driving Licence or • Copy of Woman's and Man's Passport or • Copy of Woman's and Man's Ration Card • Other relevant documents mentioned in the Memorandum/Statement. (4) In Form-4— (i) Serial number 8 shall be omitted. (ii) Step 6 shall be substituted as follows, namely:— STEP 6 – Documents • Photo of Woman and Man • Copy of Woman's and Man's Aadhaar Card • Copy of Woman's and Man's PAN Card or • Copy of Woman's and Man's Voter Identity Card or • Copy of Woman's and Man's Driving Licence or • Copy of Woman's and Man's Passport or • Copy of Woman's and Man's Ration Card • Other relevant documents mentioned in the Memorandum.
Amendment of Annexures	17.	In the Principal Rules— (i) In Annexure 6 and Annexure 28, in serial number 1, for the words "Aadhar Number of the Registrant" sign and the words "Aadhar Number/Proof of Identity of the Registrant" shall be substituted. (ii) Annexure 29 and Annexure 32 and Annexure 36 shall be omitted.

(Shailesh Bagauli)
Secretary.

No-1627/XX-5-2025-03(40) 2025, dated the same.

Copy to:- Sent to the following for information and necessary proceedings:-

1- Accountant General, Uttarakhand Oberoi Building, Majra, Dehradun.
2- Chief Secretary, Uttarakhand Government.
3- Secretary, Mr. Governor, Uttarakhand.
4- Secretary, Hon'ble Chief Minister, Uttarakhand.
5- Principal Secretary, Department of Justice, Government of Uttarakhand.
6- Secretary, Finance Department, Uttarakhand Government.
7- Director General of Police, Uttarakhand, Dehradun.
8- Divisional, Garhwal/Kumaon Division.
9- All District Magistrates, Uttarakhand.
10- All Senior Superintendents of Police / Superintendents of Police, Uttarakhand.
11- Sent to the Deputy Director, Government Printing Press, Roorkee with the intention that the said notification should be published in the Government Gazette and 50 copies of the notification should be made available to the Government.
12- Departmental Order Book/NIC.

(Shailesh Bagauli)
Secretary.